राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(3)वित्त/कर/2025 जयपुर, दिनांकः 14-08-2026

आदेश

वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2025–26 के लिये दिनांक 19.12.2025 को नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक में श्री विद्यासागर शर्मा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को राजकीय कार्य में घोर लापरवाही के कारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 02.07.2025 के द्वारा निलंबित किए जाने के फलस्वरूप तथा तत्समय निलंबित होने के कारण, उनकी पदोन्नति का प्रकरण लिफाफा बंद रखा गया था तथा दिनांक 15.06.2025 की स्थिति में एक पद आरक्षित रखा गया।

श्री विद्यासागर शर्मा की पदोन्नति की रिक्ति तिथि 15.06.2025 है एवं विभागीय आदेश दिनांक 02.07.2025 के द्वारा निलंबित किया गया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र/91 दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या–12 लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण का पदोन्नति पर प्रभाव, के उप बिन्दु संख्या 12.11 के अनुसरण में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए बन्द लिफाफे में रखी गई अनुशंषा को खोला जाकर उन्हे वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के योग्य पाये जाने पर श्री विद्यासागर शर्मा को वर्ष 2025–26 की रिक्ति दिनांक 15.06.2025 के विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

आदेश से,

(नथमल डिडेल)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)

E:\Doria JI Soni ji\Soni Ji (NEW)\CCT_Order_Hindi_ EOL doc 6!5